

मूलवाद में डिक्री (आदेश 20 नियम 6 व 7)  
न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) नाथद्वारा जिला राजसमन्द  
(पीठासीन अधिकारी- रक्षा पारीक, आर०१०१००००)  
प्रकरण संख्या - 2021/360 (रे.वाद)

वादीपक्ष -

1. अंबालाल पुत्र सोहनलाल लोढा जैन, निवासी नाथद्वारा, तहसील नाथद्वारा  
जिला राजसमंद

बनाम

प्रतिवादीपक्ष -

1. अरविन्द कुमार पुत्र बालकिशन ब्राह्मण भट्ट, निवासी आर टी डी सी रोड,  
नाथद्वारा, जिला राजसमंद
2. आशा देवी पत्नि सुरेशचन्द्र महाजन कोठारी, निवासी अहिल्या कुण्ड के पास,  
नाथद्वारा, जिला राजसमंद
3. दिनेशचन्द्र पुत्र आनन्दीलाल सनाढ्य, निवासी राजसमंद, जिला राजसमंद
4. पुष्पादेवी पत्नि प्रकाशचन्द्र महाजन कोठारी, निवासी बडा गोपालपुरा  
नाथद्वारा, जिला राजसमंद
5. मंजु पुत्री प्रकाशचन्द्र महाजन कोठारी, निवासी बडा गोपालपुरा नाथद्वारा,  
जिला राजसमंद
6. राजेश पुत्र प्रकाशचन्द्र महाजन कोठारी, निवासी बडा गोपालपुरा नाथद्वारा,  
जिला राजसमंद
7. विजयकुमार पुत्र नारायणलाल माहेश्वरी, निवासी नाथद्वारा, जिला राजसमंद
8. श्यामसुन्दर पुत्र जुगलकिशोर माहेश्वरी निवासी नानीजी का बाग, नाथद्वारा,  
जिला राजसमंद
9. शान्तिलाल पुत्र भंवरलाल महाजन कोठारी, निवासी बडा गोपालपुरा  
नाथद्वारा, तहसील नाथद्वारा, जिला राजसमंद
10. सुरेशचन्द्र पुत्र भंवरलाल कोठारी, निवासी सदभाव, बडा गोपालपुरा नाथद्वारा,  
जिला राजसमंद (मृतक के बजाय)  
10/1 आशादेवी पत्नि स्व. सुरेशचन्द्र कोठारी, निवासी सदभाव, बडा  
गोपालपुरा नाथद्वारा, जिला राजसमंद  
10/2 हितेश पिता स्व. सुरेश जी जाति कोठारी,  
10/3 कुलदीप पिता स्व. सुरेश जी जाति कोठारी,  
10/4 रीना पुत्री स्व. सुरेश जी जाति कोठारी,  
10/5 किर्ती पुत्री स्व. सुरेश जी जाति कोठारी,  
निवासी सभी सदभाव, बडा गोपालपुरा नाथद्वारा, जिला राजसमंद
11. संतोश पुत्री भंवरलाल महाजन, निवासी आर टी डी सी रोड नाथद्वारा जिला  
राजसमंद
12. सरोजदेवी पत्नि प्रकाशचन्द्र मारवाडी, निवासी आर टी डी सी रोड नाथद्वारा,  
जिला राजसमंद
13. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार तहसील नाथद्वारा, जिला राजसमंद

दावा :- विभाजन

वादी की ओर से - श्री गणपतलाल कोठारी, अधिवक्ता

प्रतिवादी की ओर से - श्री ख्यालीलाल नागदा, कोमल पालीवाल, अधिवक्ता



  
सहायक कलक्टर  
(उपखण्ड अधिकारी)  
नाथद्वारा जिला राजसमंद

मैं इस आशय में दिनांक 16/06/2025 को न्यायालय के समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है और डिक्री दी जाती है कि प्रकरण में वादग्रस्त भूमि में कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजन रूपान्तरण हो अकृषि भूमि के विभाजन का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को नहीं होने से वादी का वाद बाबत विभाजन का अस्वीकार किया जाता है। इसी अनुरूप डिक्री पर्चा कायम हो। पत्रावली फ़ैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावें।

आज दिनांक 16/06/2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी की गई।



*[Handwritten Signature]*

(रक्षा पारीक)

महायुक्त कलक्टर

(उपखण्ड प्रधिकारी)

रायचौरा, जिला-राजसम